



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122023-250936
CG-DL-E-28122023-250936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5242]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2023/पौष 7, 1945

No. 5242]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2023/PAUSHA 7, 1945

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5475(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने अनुसूची में सम्मिलित छह उत्पादों हेतु दिनांक 05.09.2017 के का.आ. 2920(अ) के तहत “सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियाँ, उपकरण और घटक वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017” जारी किया था, जिसके प्रभावी होने की तारीख 05.09.2018 थी और इसे दिनांक 12.10.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 5259(अ) के तहत संशोधित किया गया था। और यतः दिनांक 28.07.2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 3386(अ) के तहत एसपीवी इन्वर्टरों (मद 4-5) के लिए स्व-प्रमाणन को दिनांक 31.12.2023 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाया गया था।

2. और यतः सीमित क्षमताओं के लिए परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता को देखते हुए, अनुपालन के लिए और अधिक समय प्रदान करते हुए हुए, 100 किलोवाट से अधिक (>100 किलोवाट) क्षमता के एसपीवी इन्वर्टरों (मद 4-5) के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ), 2017 के कार्यान्वयन को स्व-प्रमाणन के आधार पर इस शर्त के अधीन दिनांक 31.12.2023 से 31.12.2024 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है कि ऐसे विनिर्माताओं के पास इन मदों के लिए उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट आईएस के अनुरूप वैध आईईसी प्रमाणपत्र [मद सं. 4 के लिए आईएस 16221 (भाग 2): 2015/आईईसी 62109-2 : 2011 और मद सं. 5 के लिए आईएस 16169 : 2014/आईईसी 62116 : 2008] और मान्यताप्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं से परीक्षण रिपोर्ट हो, ताकि आदेश का सुचारु कार्यान्वयन हो सके।

3. 100 किलोवाट तक की क्षमता के एसपीवी इन्वर्टरों के लिए क्यूसीओ 2017, दिनांक 01.01.2024 से कार्यान्वित किया जाएगा।

[फा. सं. 223/140/2017-आर एंड डी (गुणवत्ता नियंत्रण)]

डॉ. ए.के. त्रिपाठी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', एमएनआरई

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2023

S.O. 5475(E).—Whereas the Central Government had issued “Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017” vide S.O. 2920 (E) dated 5.9.2017 for six products included in the Schedule with the date of coming into force with effect from 5.9.2018 and the same was modified vide S.O. 5259(E) published in Gazette of India dated 12.10.2018. And whereas, self- certification for SPV inverters (items 4-5) was extended up to 31.12.2023 or till further orders, whichever is earlier vide S.O. 3386(E) published in Gazette of India dated 28.07.2023.

2. And whereas, in view of the availability of test facilities for limited capacities, providing more time for compliance, the implementation of Quality Control Order(QCO), 2017 for **SPV inverters (items 4-5) of the capacity of more than 100 kW (>100 kW)** stands extended from **31.12.2023 to 31.12.2024** or till further orders, whichever is earlier, based on self-certification, subject to the condition that such manufacturers have valid IEC certificates corresponding to IS (IS 16221(Part 2):2015/IEC 62109-2:2011 for item No 4 and IS 16169:2014/IEC 62116:2008 for item No. 5), specified in the said order for these items and test reports from accredited test labs, for smooth implementation of the order.

3. The QCO 2017 for **SPV inverters of the capacity up to 100 kW** stands implemented **w.e.f. 01.01.2024**.

[F. No. 223/140/2017-R&D (Quality Control)]

Dr. A. K. TRIPATHI, Adviser/Scientist G, MNRE